"That the Constitution (Amendment) Bill, 1977 (*Amendment of Article* 51) by Shri Hari Vishnu Kamath be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 10th August, 1978."

*The motion was adopted*

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad): Mr. Deputy Speaker, Sir, in all humility I would like to say that it is a day for rejoicing. India is the first country in the world whose Parliament has taken a step towards World-Government, and I thank the Government as also the Members of Parliament for having taken this very wise decision today on this historic occasion. The 5th of May, 1978 will be remembered in the annals of our country.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Let us congratulate Mr. Kamath.

MR. DEPUTY SPEAKER The other motions are all barred. Now we take up Shri Kanwarlal Gupta's Bill.

---

**15.46 hrs.**

## INCOME-TAX (AMENDMENT) BILL

(*Amendment of Section* 10)

**श्री कंवर लाल गुप्ते** (दिल्ली सदर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आय-कर अधिनियम, 1961 को और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मेरा जो विधेयक है मैं समझता हूं कि इस में बिल्कुल कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी और सभी राजनीतिक दल इसका समर्थन करेंगे। इस में यह मांग की गई है कि जितने राजनीतिक दल हैं उनको जो इनकम होती है वह आयकर से मुक्त होनी चाहिए, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। इस वक्त मूवेबल और इन्मूवेबल प्रापर्टी से उनको जो आय होती है उस पर इनकम टैक्स और वैल्थ टैक्स भी लगता है। सैक्शन 10 जिस के तहत इनकम टैक्स एक्ट में एक्जैम्पशंज दी गई हैं उस में राजनीतिक दलों को नहीं दी गई हैं। मेरी मांग है कि उनको भी दी जानी चाहिए। इसका कारण यह है कि पोलिटिकल एजुकेशन जो है वह भी हमारे देश की शिक्षा का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हमारे लोगें राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित होंगे, उनको पता होगा कि उन्हें क्या करना चाहिए तो यह देश आगे प्रगति करेगा और अगर नहीं होंगे तो नहीं करेगा। किस तरह का ढांचा देश में होना चाहिए, सैक्युलर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक्क होना चाहिए, मार्किस्ट होना चाहिए, तानाशाही होना चाहिए, यह सब जब तक लोगों के सामने ठीक तरह से नहीं रखा जाएगा और उनको एजूकेट नहीं किया जाएगा तब तक मुझे दुख है कि हमारे लोग ठीक निर्णय नहीं ले सकेंगे और उसका परिणाम हमारे देश के लिए और हम सब के लिए बहुत घातक हो सकता है। देश के विकास के लिए थी जरूरी है कि सब राजनीतिक दलों के पास इतने रिर्सोसिस हो कि वे अपनी विचारधाराओं का ठीक प्रकार से प्रचार कर सकें और आयकर उन से लेना मैं समझता हूं ठीक नहीं होगा और ऐसा करना उनके रास्ते में बाधा डालना होगा। अगर लोग ठीक तरह से पोलिटिकली एजुकेट नहीं हुए तो देश का डिवेलेपमेंट भी रुक जाएगा, हमारा प्रजातंत्र भी खतरे में पड़ जाएगा और तब क्या होगा यह कहना मुश्किल है।

**15.47 hrs.**

[DR. SUSHILA NAYAR *In the Chair*]

मार्च, 1977 में हमारे देश में क्रान्ति आई उसका एक ही कारण था कि राजनैतिक दृष्टि से देश में एक कांशंसनैस थी और उसका परिणाम यह हुआ कि जो लोग देश में तानाशाही लाना चाहते थे उनको लोगों ने उखाड़ कर फेंक दिया। इस लिए मेरी मांग है कि कोई भी राजनीतिक दल हो अगर वह इलैक्शन कमीशन से रिकगनाइज्ड है तो उस पर आयकर नहीं लगना चाहिए।

एक दूसरी शर्त भी है। हर राजनीतक दल अपने एकाउन्ट्स को ठीक तरह से मेंटेन करे। साल के बाद उनका उसको आडिट करवाना चाहिए और आडिट करवाने के

[श्री कंवर लाल गुप्त]

बाद एकाउंट्स को जनता के सामने रखना चाहिए। लोगों को पता लगना चाहिए कि उसकी कितनी इनकम है, कितना एक्सपेंडीचर है और लोगों को पता लग जाना चाहिए कि उसके पास कहां से पैसा आया और कहां खर्च हुआ और इस में कोई गड़बड़ तो नहीं हैं। लोगों की पोलीटिकल एजूकेशन के लिए यह बहुत जरूरी है। अब मूवेबल और इम्मूवेबल प्रापर्टी में जो इनवेस्टमेंट होता है, उस पर वैल्थ टैक्स आदि टैक्स लगते हैं। मैं चाहता हूं कि सब पोलीटिकल पार्टियों के एकाउंट्स आडिट होने के बाद पब्लिक किये जाने चाहिए। मैं यह भी चाहता हूं कि जो लोग पैसा देने वाले हैं और जिन के जरिये से कोई पैसा आता है, उनके नाम भी पब्लिक के सामने आने चाहिएं। मैं मानता हूं कि यह बिल कोई काम्प्रिमा हेसिव बिल नहीं है—इस बारे में सरकार को कोई काम्प्रिहेंसिव बिल लाना चाहिए—, बल्कि मैं ने केवल सिद्धांत रूप में बता दिया है कि सरकार को राजनैतिक दलों पर इनकम टैक्स नहीं लगाना चाहिए।

इमर्जेन्सी के दौरान और उससे पहले हम ने देखा कि पिछले तीस सालों में राजनीतिक पर धन का प्रभाव लगातार बढ़ता गया, और इतना बढ़ गया कि बड़े बड़े सरमायादार राजनीति पर छा गये। वह नहीं होना चाहिए और इस की रोक-थाम के लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

आपको मालूम होगा कि यूथ कांग्रेस के 22 लाख रुपये किसी एक व्यक्ति के नाम से हरियाणा में जमा थे। हमारी सरकार बनने के बाद वह व्यक्ति पकड़ा गया। सी० बी० आई इस बारे में भी एनक्वायरी कर रही है कि कांग्रेस का फंड कैसे आया, किस तरह उस का दुरूपयोग और एमबैजलमेंट हुआ। जब हम यह मांग करते हैं कि पोलीटिकल पार्टियां इनकम टैक्स से फ्री हों, तो इन बातों को रोकने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए।

हम यह भी चाहते हैं कि पोलीटिकल पार्टियों का पैसा एक सेक्रिड और पाक चीज होनी चाहिए, ताकि कोई आदमी उस का एमबैजलमेंट या दुरूपयोग न कर सके। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि राजनीति पर पैसे का इतना अधिक प्रभाव न हो। यह व्यवस्था करनी चाहिए कि हर एक पोलीटिकल पार्टी जब आडिटिड एकाउंट्स दे, तो उस में यह भी दर्ज हो कि पैसा कहां से आया, किस ने दिया और किस ने कलेक्ट किया—उन सब के नाम आने चाहिएं, ताकि उस पैसे में एमबजलमेंट न हो सके।

संजय गांधी ने क्या किया? इन्दिराजी ने क्या किया? मैं आप को एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं ने एक सवाल पूछा था, जिस का फिनांस मिनिस्टर ने तीन दिन पहले जवाब दिया है। एक मि० भाटियां हैं। कांग्रेस—जो अब **कांगी** हो गई है—कि तरफ उन का सिर्फ टैंट का बिल करीब डेढ़ करोड़ रुपये का है, जो उन्होंने लिया। उन्होंने उस को एकाउंट्स में जमा भी नहीं किया। वह अपना बिल बढ़ा-चढ़ा कर देते थे और उस का कुछ पैसा अपने पास रखते थे और कुछ पैसा नेताओं को देते थे। सी० बी० आई० इस मामले की भी एनक्वायरी कर रही है। इन बातों की भी रोक-थाम होनी चाहिए। इस के लिए जरूरी है कि पैसा कहां से आया और कौन लाया, यह सब पब्लिक होना चाहिए, और ये एकाउंट्स आडिटिड हो कर लोगों के सामने आने चाहिएं।

सब मंत्रियों पर, चाहे वे राज्यों के मंत्री हों या केन्द्र के मंत्री, **बाई ला** यह पाबन्दी लगानी चाहिए कि वे पोलीटिकल पार्टियों के लिए फंड इकट्ठा न कर सकें। अगर हम ने अपने सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता लानी है, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करनी है, देश में ऐसा आदर्श रखना है कि राजनीति पर पैसे का प्रभाव न हो, तो यह जरूरी है कि जो लोग सत्ता में सीधे हैं वे डायरेक्टली या इन्डायरेक्टली किसी

तरह से भी पैसा इकठ्ठा न करें । तब तो मैं समझता हू कि जनता पार्टी तीस साल की जो गन्दगी है उस गन्दगी को दूर करने में कुछ हद तक कामयाब होगी ।

(i) एक इस में यह भी लाना चाहिए कि अगर कहीं पार्टी फंड का मिसयूज हो, एम्बैजलमेंट हो तो उस में भी कानून के अनुसार उस को सजा मिलेगी । चाहे वह किसी पार्टी का हो । यह भी उस में होना चाहिए । अभी साठे जी ने कहा कि संजय गांधी की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत कैंसिल कर दी । लेकिन अभी तक उन को गिरफ्तार नहीं किया गया । पुलिस वालों ने कहा कि आज हम किसी वक्त गिरफ्तार करेंगे यह कानून के खिलाफ हैं । जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उन की जमानत कैंसिल की थी उसी समय गिरफ्तार करना चाहिए था, कानून यह कहता है । कानून हर एक के लिए बराबर होना चाहिए । वह पुराना इतिहास नहीं दोहराया जाना चाहिए कि जब इन्दिरा गांधी को पकड़ने के लिए गए तो इन्दिरा गांधी ने क्या नाटक किया । पुलिस को उसी समय गिरफ्तार करना चाहिए । मैं यह नहीं कहता कि कानून के खिलाफ काम किया जाए । हम रूल आफ ला में विश्वास करते हैं । रूल आफ ला को हम मानेंगे । लेकिन उनको एकदम तिहाड़ जेल में ले जा कर रखना चाहिए था । हम भी वहां रहे हैं । एक ही महीना तो उन्हें वहां रहना है । सेशन फोर्ट में जैसे हमें लाया जाता था मैं चाहता हूं कि उसी तरह उनको भी लाया जाये । मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह गृह मंत्री से कहें, सदन की भावनाएं, उन के पास कन्वे की जानी चाहिए कि उन के साथ कानून के मुताबिक बर्ताव हो लेकिन फोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए । जो उन्होंने जुर्म किया है उस जुर्म के हिसाब से भी क्लास तो शायद उन्हें मिलेगी नहीं क्योंकि ग्रेज्युएट तो वह हैं नहीं । उस हिसाब से तो बी क्लास नहीं मिल सकती । लेकिन शायद वह इन्कमटैक्स देते हों तो भी बी क्लास मिल सकती है । खैर, वह तो मजिस्ट्रेट तय करेगा । लेकिन कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए और अननेसेसरी हरेसमेंट भी नहीं होना चाहिए ।

(ii) मेरा कहना यह है कि यह जो पोलिटिकल पार्टी के पैसे का एम्बैजलमेंट और मिसयूज है, उस पर जनता पार्टी अब रोक लगा दे और मंत्रियों पर भी यह रोक लगनी चाहिए कि वह पैसा इकटठा न करें । एक चीज की मैं इस में अपवाद भी करना चाहता हूं । अगर आज जनता पार्टी इन्वेस्टमेंट कर के इन्कम करती है मूवेबल प्रापर्टी या इम्मूवेबल प्रापर्टी से तो उस पर तो एग्जम्पशन होना चाहिए लेकिन अगर कोई पोलिटिकल पार्टी बिजनेस करने लगे, मान लीजिए कि जनता पार्टी हुकूमत में है, हमें अपनी पालिसी मालूम है, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करने लगे प्राफिट मोटिव से तो उस में एग्जम्पशन नहीं होना चाहिए । किसी ट्रेड का काम कोई भी पोलिटिकल पार्टी करे तो वह एग्जम्पशन में नहीं आना चाहिए । हां, जो डोनेशन से पैसा आए चाहे मेम्बर से हो या नान-मैम्बर से हो, या इन्वेस्टमेंट से हो मूवेबल या इम्मूवेबल प्रापर्टी के, वह एग्जम्पट होना चाहिए ।

**एक माननीय सदस्य** : पोलीटिकल पार्टी बिजनेस भी करती है ?

**श्री कंवर लाल गुप्त**: करती है । आप की पार्टी ने किया । अगर मुझे आज्ञा दें तो मैं बता सकता हूं ।

## 16.00 hrs.

एक चीज की मांग मैं और माननीय मंत्री जी से करूंगा कि काम्प्रीहेंसिव बिल लाने से पहले एक सिस्टेमेटिक स्टडी करें।

I want to suggest to the Minister that he should make a scientific study of the whole problem, how to utilize the funds of a political party properly, how should they collect it, how should them to utilize

[श्री कंवर लाल गुप्ता]

it and see to it that there is no embezzlement or misuse of money by any person, whomsoever it may be, highest or lowest. so, a proper study should be made, keeping in view the experience of the last 18 months in particular.

और उसको दृष्टि में रखते हुए मंत्री महोदय बिल लायें। किस तरीके से मंत्रियों ने और प्रधान मंत्रियों ने पार्टी के नाम से पैसा लिया है वह तो आपको मालूम ही है। मंत्री लोग जब पैसा लेते हैं तब यही कहते हैं कि पार्टी के लिए जरूरत है। पार्टी के नाम से ही सारी खुराफात होती है। वे यह कभी नहीं कहते कि मुझे पैसे की जरूरत है, अपनी जेब के लिए पैसे की जरूरत है बल्कि वे कहते हैं पार्टी के लिए चाहिए, एलेक्शन के लिए चाहिए, पार्टी के रोज़ रोज के खर्चे के लिए चाहिए। पार्टी के नाम से ही वे सारा पैसा इकट्ठा करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पोलिटिकल लाइफ पर पैसे का प्रभाव न हो, इसके लिए हमें पाबंदी लगानी चाहिए कि किसी भी सर्कमस्टांस पर मंत्री लोग पैसा इकट्ठा न करें।

ट्रेड यूनियन की इनकम पर टैक्स एग्ज़म्शन है इसलिए अगर पोलिटिकल पार्टी को भी एग्ज़ेम्ट कर देंगे तो दोनों [illegible] जायेंगे। जब ट्रेड यूनियन की इनकम पर टैक्स नहीं लगता तो मैं समझता हूं पोलिटिकल पार्टी की इनकम पर भी नहीं लगना चाहिए। मैंने सुना है--पता नहीं कहां तक सही है--कि सरकार ने इस बारे में कुछ विचार किया है और शायद सरकार इससे सहमत भी है, मंत्री महोदय इसको बतायेंगे लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है।

एक बात मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव के दिनों में अगर पैसे के प्रभाव को कम रखना है तो जो कम्पनीज़ के ऊपर डोनेशंस और एडवर्टीज़मेन्ट पर पाबन्दी है वह रहनी चाहिए, उसको हटाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कंपनीज़ पर पाबंदी नहीं रही तो शेयर-होल्डर्स का करोड़ों रुपया इस तरीके से पोलिटिकल पार्टीज़ में जायेगा और उसका दुरुपयोग होगा। इसलिए यह जो व्यवस्था है वह बनी रहनी चाहिये।

इससे ज्यादा कुछ और न कहते हुए, मेरे जो दो तीन सुझाव हैं, मैं चाहूंगा उन पर मंत्री जी अपने विचार रखें। एक बात तो मैंने कही है कि स्टडी करके एक कांप्रिहेंसिव बिल लाना चाहिए, दूसरे मंत्री लोग किसी भी हालत में पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा न करें--इस पर पाबंदी लगनी चाहिए और जो लोग पोलिटिकल फंड्स का मिसयूज़ करते हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। यह भी प्रावधान हो कि पोलिटिकल पार्टी की इनकम पर टैक्स एग्ज़ेम्शन होगा। इन शब्दों के साथ मैं यह विधेयक पेश करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Income-tax Act, 1961, be taken into consideration."

श्री युवराज का मोशन है, वे मूव करना चाहते हैं? वे उपस्थित नहीं हैं।

श्री सुरेन्द्र झा सुमन का भी मोशन है--वे भी नहीं हैं।

**डा० रामजी सिंह**: आपके अमेन्डमेन्ट क्लाजेज़ पर हैं । आप बोल लीजिए ।

**डा० रामजी सिंह** (भागलपुर) : सभापति महोदय, अभी हमारे मित्र कंवरलाल गुप्त जी ने इनकम टैक्स के संशोधन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखा है और उसके बाद जो उन्होंने कुछ भावनायें व्यक्त की हैं उसके तो मैं साथ हूं लेकिन जैसा वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि यह बिल अत्यन्त अपर्याप्त है और इस बिल को प्रस्तुत करने में उनका केवल एक ही उद्देश्य था कि सरकार एक कांप्रिहेंसिव बिल लाये जिसमें और बातों की भी चर्चा हो । जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, उससे राजनीतिक दलों को मुक्ति देने की बात करते हैं तो हमारे सामने एक संशय भी उपस्थित हो जाता है । एक तो देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि भ्रष्टाचार ही देश में शिष्टाचार बन गया है और यह भी सत्य है कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री राजनीति है । जब तक राजनीति में भ्रष्टाचार का निराकरण नहीं होगा, तब तक प्रशासनिक भ्रष्टाचार या व्यावसायिक भ्रष्टाचार का भी निराकरण नहीं हो सकता है ।

आज प्रातः काल ही हम लोगों ने देखा—बिरला घराने पर जो आय-कर बाकी है, आज वर्षों से उस के ऊपर अनुसन्धान चल रहे हैं, लेकिन पिछले 30 वर्षों की राजनीति में संरक्षण देने के कारण आज बिड़ला के यहां जनता का जो करोड़ों रुपया बाकी है, वह वसूल नहीं हो पाया है । इसलिये यह आवश्यक है—यदि हम भ्रष्टाचार का निर्मूलन करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत हमें राजनीतिक जीवन से करनी होगी । इस के लिये जैसा हमारे माननीय मित्र श्री कंवर लाल गुप्त ने कहा है—मेरा संशोधन भी इसी प्रकार का है—राजनीतिक दलों को भी अपना हिसाब किताब रखना चाहिये—यह उचित ही है । आज अन्य सब के ऊपर नियन्त्रण है, व्यावसायिक संस्थाओं को न केवल हिसाब-किताब रखना पड़ता है, बल्कि आडिट भी कराना पडता है, लेकिन राजनीतिज्ञों पर कोई नियन्त्रण नहीं है । यही कारण है कि राजनीतिक में हिसाब-किताब के सम्बन्ध में जो स्वेच्छाचारिता है, उसके कारण ही राजनीति में इतना भ्रष्टाचार होता है और इसी राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण व्यापारियों से करोड़ों रुपया वसूल किया जाता है ।

मैं किसी विशेष दल के सम्बन्ध में यह बात नहीं कह रहा हूं लेकिन इन भावनाओं को दृष्टि में रखते हुए, जैसा मुझे मालूम है, किसी सम्मानित सदस्य ने एक बिल भी यहां पर उपस्थित किया है, जिसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि राजनीतिक दलों के हिसाब-किताव को भी दूसरी संस्थाओं के हिसाब किताब की तरह पाक साफ रहना चाहिये और लोगों के सामने सार्वजनिक अवलोकन के लिये पेश किया जाना चाहिए । जहां तक इस इन्कमटैक्स बिल का सवाल है, सभापति महोदय, आप को मालूम है—27 अप्रैल, 1961 को ही यह इन्कमटैक्स बिल हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी यहां लाये थे, उसके बाद 10-8-1961 को इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया, 18-8-1961 को फिर इसे सदन में प्रस्तुत किया गया, उस समय भी इस पर चर्चा हुई थी कि क्या स्वयंसेवी संस्थाओं को जो पैसा दिया जाता है, उसमें छूट दी जानी चाहिये या नहीं । सिलेक्ट कमेटी में हमारे मसानी साहब ने एक नोट आफ डिसेंट दिया था । जैसा हमारे कंवरलाल गुप्ता जी ने भी कहा है— राजनीतिक दलों का काम लोगों को लोक शिक्षा देना है, इसलिये उन पर कोई कर नहीं लगना चाहिये । इसी प्रकार से जब इन्कम टैक्स में छूट देने की बात हुई थी तो हमारे मसानी साहब ने यह कहा था

[डा० रामजी सिंह]

कि यह छूट दी जानी चाहिये, उन पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिये : "We cannot legistlate people into goodness. We cannot take them into rationalisation."

मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि हम राजनीतिक दलों को छोड़ देते हैं, उन्मुक्त कर देते हैं तो उस से सब प्रकार के भ्रष्टाचार पैदा होंगे। इसलिये मैं तो यह समझता हूं—पहले इस बात पर विचार कीजिये कि राजनीतिक दलों की किस इन्कम को, कौन सी आय को छूट मिलनी चाहिये। अपने देश में तो ऐसे ऐसे राजनीतिक दल हुए हैं जो एक एक चुनाव में 27–28 करोड़ रुपया ऐठतें हैं—क्या ऐसे राजनीतिक दलों को छूट देंगे ? अगर कोई दल पूंजी इकट्ठी करके कोई आलीशान इमारत बना ले, तो इससे जो निहित स्वार्थ निकलता है, उस पर नियन्त्रण नहीं रह जायगा ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल भी जमीदारों की तरह से, धन्ना सेठ हो जायेंगे और उससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा।

इसलिये मैं चाहूंगा कि हमारे सम्मानित सदस्य—माननीय कंवर लाल जी अपने इस बिल के सम्बन्ध में मेरा जो संशोधन है, उस को स्वीकार कर लें तो शायद उन की भावना का और ज्यादा आदर होगा।

मैंने कहा है :

"Provided that this Bill not to be applicable...."

MR. CHAIRMAN: That will come at the stage of clauses.

**डा० रामजी सिंह** : इसलिए मैंने यह चीज उनके सामने रखी है। यह जो इन्कम टैक्स (एमेंडमेंट) बिल गुप्ता साहब का है, वह स्वयं अनुभव करते हैं कि यह अत्यन्त अपर्याप्त है और खास कर राजनीतिक दलों के संदर्भ में जब एक बिल लाना ही है तो एक अच्छा बिल लावें। यह बात ठीक है कि उन्होंने कहा है कि ट्रेड यूनियन संस्थाओं को आयकर नहीं लगता है, तो जब ट्रेड यूनियन संस्थाओं को नहीं लगता है तो क्या राजनीतिक दल कोई अछूत हैं उन को लगना चाहिए। उन को यह तर्क ठीक है। (व्यवधान) .... मैंने दूसरे भाव में यह कहा है, घृणा के भाव से नहीं कहा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि ट्रेड यूनियन की जो बात उन्होंने कही वहठीक है लेकिन हम लोगों ने भी देखा है और सार्वजनिक जीवन का जो हमारा छोटा सा अनुभव है, उसके आधार पर मैं कह सकता कि चाहे ट्रेड यूनियन संस्था हो चाहे राजनीतिक दल हो, अगर इन की आमदनी और खर्चे पर और इन के हिसाब-किताब पर कोई नियंत्रण न हो, तो भारत वर्ष को भ्रष्टाचार से कोई बचा नहीं सकता हम तो देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो मुख्य मंत्री जो होते हैं वे लोगों से कहते हैं कि तुम 10,000 रुपये ले लो और तुम 10,000 रुपये ले लो और यह काम करो। इस प्रकार के वातावरण में, राजनीतिक भ्रष्ट वातावरण में हम अगर सदाचरण की कल्पना करें तो यह बिल्कुल बेकार है। इसलिये यह परम आवश्यक है कि हमें राजनीतिक दलों पर नियत्रण रखना चाहिए। सदाचार और भ्रष्टाचार नियंत्रण की शिक्षा दूसकों के लिये हो और मेरे लिए न हो, यह चीज नहीं होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि सदाचरण का पालन करें, आयकर की चोरी न करें और अपना हिसाब-किताब दुरुस्त रखें तो राजनैतिक दलों को आगे बढ़ कर अपनी आचार सहिता को न केवल प्रस्तुत ही करना होगा बल्कि उन को अपने आप को बने हुए नियमों और कानून में भी आबद्ध रखने के लिए तत्पर रहना होगा। इसलिए इन्कम टैक्स बिल के सम्बन्ध में उस समय जो बहस हुई थी, उस में सारी बातों पर विचार विमर्श किया गया था। इसीलिए क्लाज, 11, 13, और 215 में यह कहा गया है :

"The group of clauses relating to the income of charitable institutions, that is, clauses 11 to 13 of the Bill and

clause 215 defining charitable purpose received considerable thought. These clauses give effect to the recommendations of the Tyagi Committee that if any trsut accumulated its funds in excess of 25 per cent of its income in any year, the excess should be brought to tax.

तो जब हम स्वयंसेवी संस्थाओं की आमदनी पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, तो राजनीतिक दल करोड़ों करोड़ रुपया ले कर अगर कोई पूंजी का निर्माण करें और उस से देश में निहित स्वार्थों की स्थापना करें, तो उस पर कोई अंकुश न रखना यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना होगा। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे और इस सम्बन्ध में आप के माध्यम से गुप्ता जी से निवेदन करेंगे कि वे इस बिल को सलेक्ट कमेटी में भेजें और उस के बाद वहां पर जैसा उन का सुझाव है सरकार एक काम्प्रीहैन्सिव बिल लावे जिस में राजनीतिक दलों की भी बात हो। मैं यह नहीं चाहता हूं कि राजनीतिक दलों का जो कार्य है राजनीतिक शिक्षण देना, जनता को शिक्षित करना जनतंत्र में और नागरिकता में, उसमें वे चूकें। लेकिन उसके बहाने आया राम, गया राम के व्यापार में राजनीतिक दल अपने को लिप्त नहीं करेंगे। इस पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। अगर सरकार भ्रष्टाचार निवारण के लिए सचमुच में कटिबद्ध है और जल्दी से जल्दी इसे करना चाहती है तो वह इसी सत्र में दल बदल पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक लाये। वह केवल यही विधेयक न लाये बल्कि राजनीतिक दलों को अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब रखने पर भी बाध्य करे। उनको बाध्य करने वाला कानून भी यहां लाये। इतना ही नहीं राजनीतिक दल का कोई भी सदस्य हो, कोई भी नेता हो, उसकी क्या आमदनी है, उसके क्या असेसट् हैं, उनको प्रकट करने का भी कोई कानून होना चाहिए। हम देखते हैं कि राजनीति में जो लोग प्रवेश करते हैं, या राजनीति में आते हैं तो उन से लोग पूछते हैं कि आपके पास गाड़ी है कि नहीं? वे ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई एम० पी० हो जाता है तो उस के पास सब कुछ हो जाता है। यह क्यों होता है? लोगों की जो राजनीति में प्रवेश करते हैं, उनकी सचमुच में यह आकांक्षा होती है कि राजनीति में प्रवेश करते ही उन्हें कुबेर का खजाना मिल जाए। वे समझते हैं कि उन्हें सारे लोगों की शक्ति मिल गयी है। हमें इन चीजों पर भी चोट करनी होगी तभी हम भ्रष्टाचार का निवारण कर सकेंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक दल का प्रत्येक व्यक्ति अपनी आमदनी और लाएब्लिटी एवं असेट्स की घोषणा करे और किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार हो कि वह उसकी इन बातों को देख सकें। जब तक हम राजनीतिक दलों के प्रत्येक व्यक्ति को सचमुच में कानून के कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे, जब तक राजनीतिक दलों के आय और व्यय को सार्वजनिक दर्पण में नहीं रखेंगे तब तक राजनीति में भ्रष्टाचार की गुंजाइश रहेगी और जब तक राजनीतिक में भ्रष्टाचार की गुंजाइश रहेगी तब तक व्यापारियों का भ्रष्टाचार भी चलता रहेगा, प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी चलता रहेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपने सम्मानित मित्र गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वे इस बिल के विषय में पुनः विचार करें और एक कम्प्रीहेंसिव बिल लावें जिससे कि राजनीतिक भ्रष्टाचार समाप्त हो सके और राजनीतिक दलों को अवैध धन न प्राप्त हो सके।

**श्री हुकम देव नारायण यादव** (मधुबनी): सभापति जी, यह जो विधेयक आया है, उस पर बोलते हुए मैं यह कहूंगा कि राजनीतिक पार्टी एक निर्गुण चीज है। असल में सगुण क्या चीज है? सगुण चीज उस पार्टी में काम करने वाले, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता हैं जिनके जरिए से पार्टी की सारी नीति का निर्धारण होता है, पार्टी का संचालन होता है। राजनीतिक पार्टी में जो पैसा आये, उस पर कर लगे या न लगे, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को चलाने वाले लोगों का

[श्री हुकम देव नारायण यादव]

आचरण , व्यवहार, कारोबार महत्वपूर्ण है। यह चीज इसके दायरे में आनी चाहिए। डा० राम मनोहर लोहिया जैसे विद्वान ने एक जगह पर लिखा है कि मंच पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बातें क्रांतिकारी हुआ करती हैं। मंच पर कही गयी उनकी बातों से उनको न परखा जाए, बल्कि मंच से उतर कर उनका जो आचरण है, उसको परखा जाए। यह देखा जाए कि वह कहां रहता है, कहां सोता है, क्या खाता है, किससे दोस्ती करता है, उनके अनुसार यही चीजें किसी नेता के आचरण को परखने का आधार होनी चाहिए। यह एक बुनियादी सवाल है । पहले राजनीतिक पार्टियों के पास पैसा है, उन पर कर नहीं लगा है । फिर जनता पार्टी यह काम करने को कैसे तैयार हो जाएगी कि राजनीतिक पार्टियों के पास पैसा आवे और वह करमुक्त न हो जावे । अब तक कानून के रहते हुए भी किस राजनीतिक दल ने टैक्स नहीं दिया है ? ऐसा कानून है लेकिन किसी ने टैक्स नहीं दिया है । ये दोनों बातें देश में चल रही हैं। दूसरी तरफ सरकार के जरिए यह भी किया जा रहा है कि हिन्दुस्तान में एक स्मारिका कांड में एक पार्टी ने तीन करोड़ रुपया जमा कर लिया, इस कांड में तीन करोड़ रुपया राजनीति की सत्ता के सर्व प्रमुख स्थान पर बैठी हुई ने हिन्दुस्तान के व्यापार का संचालन करने वाले एक नम्बर के आदमी बिड़ला से तीन करोड़ रुपया ले लिया। राजनीति की एक नम्बर की कुर्सी, प्रधान मंत्री, व्यापार की एक नम्बर की कुर्सी श्रीमान बिड़ला ये दोनों एक ही स्मारिका केस में मुजरिम होते हैं। मैं छोटे मोटे लोग छोटे मोटे भुनगे जो होते हैं उनके साथ उनकी बात नहीं करता हूं। इस तीन करोड़ पर कितना आयकर सरकार को दिया गया, कुछ नहीं । राजनीतिक दल जो पैसा एकत्र करते हैं उसका संचालन कैसे होता है अगर यही देखें और इसको ठीक आप कर दें तो भारत की राजनीति परिमार्जित हो सकती है । जब तक वह परिमार्जित नहीं होगी देश से भ्रष्टाचार का अन्त नहीं होगा । तब तक भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करना निरी मूर्खता होगी। सब से बड़ी भ्रष्टाचार की जननी राजनीति है । इसी के गन्दे कूड़े पर भ्रष्टाचार के कीड़े जन्मते और पनपते हैं और विकसित होते हैं। अगर राजनीति शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए तो फिर हिन्दुस्तान में से भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त हो जाए।

घूस लेने के कितने नाम हैं इसको आप देखें। दारोगा जी के पास जाए तो हमारे यहां बिहार में घूस नहीं मागेंगा, कहेगा सलामी लाए हो। कोर्ट में पेशकार घूस नहीं कहेगा, कहेगा पेशी दीजिएगा। किसी बड़े हाकिम के पास जाएं तो घूस नहीं मांगी जाएगी, कहा जाएगा कि कुछ डाली ला हो यानी कुछ नजराना उनको पहुंचाया जाए। राजनीतिक दल घूस नहीं मागते । उनकी घूस होती है चन्दा। घूस के अनेक नाम हैं। कहीं चन्दा घूस का नाम है, कहीं नजराना कहीं पेशी, कहीं सलामी। इस तरह से उसके अनेकों नाम हैं।

जो राजनीति चलाने वाले होते हैं और जो सत्ताधारी दल होता है उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। पैसा बटोरने के उसके पास अनेक यंत्र और अनेक साधन होते हैं। मेरे जैसा साधारण आदमी, गांव का गरीब आदमी अगर बेईमानी करना चाहे तो एक दो रुपए की बेईमानी कर सकता है लेकिन अगर कोई मंत्री बेईमानी करना चाहे तो बिना किसी को पता लगे, बिना ज्यादा मेहनत किए, केवल कलम की नोक से एक शून्य घटा बढ़ा देने से हजारों लाखो का मामला निपटा सकता है। जहां एक बिन्दु, एक शून्य, एक डैसीमल से इतनी बड़ी रकम की बात उठती है वहीं राजनीति को पवित्र करना भी हमारा सब से बड़ा कर्तव्य हो जाता है ।

डा० रामजी सिंह ने प्रश्न उठाया है कि केवल पार्लियामेंट के सदस्य ही नहीं, विधान सभाओं के सदस्य ही नहीं बल्कि आपको सोचना चाहिए कि किसी भी राजनीतिक दल के पद पर आसीन व्यक्ति, अध्यक्ष हो, सचिव हो या उसकी कार्य समिति का सदस्य है, सब की सम्पत्ति के बारे में, सब के पास धन के बारे में जानकारी लेने का अधिकार आपके पास होना चाहिए। सत्ताधारी दल का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनता है, सचिव बनता है, कार्य समिति का सदस्य बनता है तो क्या उसका प्रभाव अपनी सरकार पर कम रहता है। हम लोग राजनीति के अन्दर बचपन से ही रहे हैं, उसी में हम पले हैं। ग्राम पंचायत के मुखिया से ले कर विधान सभा के सदस्य और अब यहां लोक सभा के सदस्य हैं। गांवों में साधारण पद से यहां तक आ कर हमने देखा है और जब मैं विधान सभा का सदस्य था उस समय भी मैंने कहा था—मैंने, माननीय श्री राम जीवन सिंह ने तथा औरों ने भी श्री जय प्रकाश नारायण के आह्वान पर विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था—कि हम लोग फटे हाल हैं, खाया पीया बराबर है, कुछ भी पास में बचा नहीं है, लेकिन कई लोग हैं जिन्होंने लाखों की सम्पत्ति पाटना से बना ली है, जिन की लाखों की जायदाद आज भी पटना के शहर में विराजमान है। उन के बड़े बड़े मकान हैं। वे कहां से आये? मैं लोक सभा का एक सदस्य हूं और दूसरे भी लोक सभा के सदस्य हैं। लेकिन अगर वे बड़े होटलों में ठहरते हैं, बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं, बड़ी अच्छी सवारी करते हैं, उन के बड़े ठाट-बाट हैं, तो क्या दुनिया इस को देखती है या नहीं? भले ही हम दुनिया को मूर्ख बनाना चाहें, मगर हम भूल जाते हैं कि हम दुनिया को दो आखों से देखती हैं। जबकि दनिया हमें करोड़ों आंखों से देखते हैं, दो आंखो से देखने में कभी गलती हो सकती है; लेकिन करोड़ों आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती हैं, चाहे कोई मंत्री हो, वाहे कोई किसी दल का नेता या पदाधिकारी हो।

हमारे देश में राजनेता, नौकरशाह और व्यापार, इन तीनों के भ्रष्टाचार का संयोग रहा है—इन तीनों ने मिल कर देश में भ्रष्टाचार का अड्डा जमाया है। राजनेता से संरक्षण मिलता है व्यापार और नौकरशाह को, और व्यापारी तथा नौकरशाह अपने को संरक्षण देने वाले के प्रति उसी तरह से स्वामीभक्त होते हैं, जैसे कोई ऐलसेशन कुत्ता अपने स्वामी का भक्त होता है—इतनी बड़ी उन की स्वामीभक्ति होती है, यह सिद्ध हो चुका है।

राजनैतिक दलों के चंदे संग्रह किए जाते हैं, वे कहां से लिये जाते हैं? चुनावों में जो खर्च किए जाते हैं, वे कहा से खचे किये जाते हैं? चुनाव में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। पीपल्ज रिप्रेजेन्टेशन एक्ट के मुताबिक चुनाव में 33,000 या 35,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं किया जा सकता है। सभी लोग जब चुनाव-खर्च की रिटर्न दाखिल करते हैं, तो वे खर्च को 33,000 रुपए से कम दिखाते हैं, क्योंकि कानून की पाबन्दी है। अगर वे ज्यादा दिखायें, तो उन का चुनाव अवैध ठहराया जा सकता है। लेकिन क्या यह ईमानदारी की बात है कि सब लोग 33,000 रुपये सब 35,000 रुपए के अन्दर ही चुनाव जीत कर आते हैं? सच्चाई कुछ और है, ईमान की बात कुछ और है, कानून अपनी जगह कुछ और है।

अगर हम बिड़ला, टाटा या डालमिया को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो उन्हें कहां से नियंत्रित किया जायेगा। कई बार यह प्रश्न उठाया जाता है कि बिड़ला के विरुद्ध बरसों से एनक्वायरी बैठी हुई है, लेकिन उस का कोई नतीजा नहीं निकला है। मुर्गी को फांसा गया है, लेकिन वह कोई अंडा नहीं दे रही है। बिड़ला जी के बारे में जांच करने के लिए आयोग बैठा हुआ

[श्री हुकम देव नारायण यादव]

है, लेकिन अभी तक उस जांच का कोई नतीजा नहीं निकला है, बल्कि उस आयोग पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है।

जब से देश आजाद हुआ है—1947 से लेकर अब तक के बिड़ला जी के खाते को अगर देखा जाये, तो उसमें देश के बड़े से बड़े राजनेताओं के नाम दर्ज होंगे--उस में लिखा होगा कि किन को उन्होंने कितना पैसा दिया, किस पोलीटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया। जब हिन्दुस्तान का पूंजीपति हिन्दुस्तान की राजनीति को बंधक रखता है, जब हिन्दूस्तान की राजनीति हिन्दुस्तान के पंजीपति के यहां कैद हो, तब अगर पोलीटिकल पार्टियों पर नियंत्रण नहीं रखा जायगा, तो वह राक्षस या अजगर को अनियंत्रित छोड़ देने के समान होगा।

इसलिए मैं बड़ी विनम्रता के साथ श्री कंवर लाल गुप्त से निवेदन करूंगा कि अगर जनता सरकार उनके इस विधेयक को स्वीकार करना चाहे भी, तो हम लोग कहेंगे कि यह जनता सरकार के नाम पर कलंक होगा। जिस सरकार को हम भ्रष्ट, दिशाहीन, दृष्टिहीन और पूंजीपतियों की संरक्षक संरकार कहते थे, जिस सरकार को हम सम्पूर्ण भ्रष्टाचार जननी कहते थे, उस सरकार ने कम से कम दिखावे के लिए पोलीटिकल पार्टियों पर नियंत्रण लगाया था। लेकिन अगर आज हम जनता पार्टी वाले, जो भ्रष्टाचार का समूल नाश चाहते हैं, भ्रष्टाचार का अन्त करना चाहते हैं, यह कहते हैं कि राजनैतिक दलों को जो चंदा मिलता है, उसको कर मुक्त टैक्स फ्री, कर दिया जाये, तो यह उचित नहीं है। बल्कि, यह साफ जाहिर होना चाहिए कि कोई राजनैतिक दल जो पैसा इकट्ठा करे, वह उसे बैंक में जमा करे, उस के थ्रू ही निकले और खर्च करे। राजनैतिक दलों पर यह नियंत्रण लगाने से उन्हें यह हिसाब देना पड़ेगा कि उन के पास कितना पैसा आया कहां से आया, कहां कहां खर्च किया और कितना खर्च किया। जब हिन्दुस्तान के समाज सेवी संगठनों और अन्य संगठनों पर टैक्स लगता है, तो राजनैतिक दलों को क्यों बरी किया जाये? राजनैतिक दल को छोड़ दिया जाय इसलिए कि आज जनता पार्टी पावर में आई है, जनता पार्टी की सरकार बनी है? राजनैतिक दल को जो चन्दा मिलता है उस पर से टैक्स का अन्त कर दिया जाय इसलिए कि जनता, यह समझे कि जनता पार्टी की सरकार बनी है, यह पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं यह पार्टी चाहती है कि करोड़ों करोड़ रुपया इकट्ठा करे जिस का कोई हिसाब न देना पड़े इसीलिए इसको कर मुक्त कर दिया जाय? यह जनता पार्टी के ऊपर सब से बड़ा इल्जाम होगा। जनता इसी दृष्टि से देखेगी इस बिल को, हम और आप चाहे कोई दृष्टि दे लें वह उस से चलने वाली नहीं है। इन शब्दों के साथ जो कंवर लाल जी का विधेयक है मैं उस का विरोध करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि इस विधेयक को सरकार स्वीकार न करे। राजनैतिक दल के ऊपर, राजनैतिक दल के संचालक जितने लोग हैं, राजनैतिक नेता जितने लोग है, चाहे वह विधान मंडल या संसद के सदस्य हों या न हों, राजनैतिक दल के अन्दर गांव से लेकर दिल्ली तक किसी भी पद पर पदाधिकारी हों उन की भी सम्पत्ति की जांच होनी चाहिए, ऐसा विधेयक बने तब कहीं काम चल सकता है और देश से भ्रष्टाचार को मिटाने का जो काम है वह मजबूती से किया जा सकता है। वरना भ्रष्टाचार हम लाख कहेंगे मिटाने के लिए वह नहीं मिट सकता है। हम दुनिया से भ्रष्टाचार को मिटाने चलें लेकिन जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाले हैं वे

स्वयं अपने ऊपर अंकुश न लगाएं तो कैसे काम चल सकता है ? हम तो चाहते हैं कि दुनिया पवित्र हो जाय लेकिन मुझ पर कोई उंगली न उठाए, हम तो सब की बात कहें, मेरी बात कोई न कहे, हम सब की आलोचना करें, मेरी आलोचना कोई न करे, हम सब को भ्रष्टाचारी कहें लकिन कोई मुझे भ्रष्टाचारी कहे तो संसद् के विशेषाधिकार की गिरफ्त में आ जाय, यह इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा जहां रहेगी वहां देश से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा । इसलिए भ्रष्टाचार का अन्त करने के लिए इस विधेयक का विरोध होना चाहिए और राजनैतिक दल, राजनैतिक दल के लोग इन तमाम लोगों को नियंत्रित करने के लिए कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए जिस से वे भ्रष्टाचार को संरक्षण न दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): In this country where the sapling of democracy has not yet taken firm roots, it becomes imperative on the part of political parties to educate the masses and to carry on their legitimate duties. For that they definitely require some money for their expenses and this money could easily come by way of membrship fee and also in the shape of donations from party members. But the way money flows during elections brings a genuine doubt in the mind of the electorate from where this money comes. Most of the returns that we Members of Parliament submit as election expenses, are not true as they have exceeded the limit prescribed by the Election Commission for such elections. Each one of us has contested the election and we know very well that we have spent much more than Rs. 35,000 which have been prescribed by the Election Commission as the limit for election expenses.

Further in this House many a time there have been discussions regarding the corrupting influence of CIA, KGB and other similar organisations of foreign countries. It is a matter of serius concern as it jeopardises the security of the country. Inside the country also, financial support to political parties comes in various ways, in a clandestine manner; it is so siphoned through various channels to the efforts of political parties; it comes from big business houses in the shape of advertisements in souvenirs donations, lending jeeps etc. etc.

When big business houses or monopoly houses invest in any political party, they expect some return, and the political parties are eager to oblige if at all they came to power. The entire election becomes a mockery. They pay donations to parties from the black money which is an undeclared wealth. That is how there will be a parallel economy in operation in this country. The entire election becomes a mockery. Voters are exploited of their poverty and ignorance .

It is high time that the people of this country should get a clear picture regarding the sources of income and the manner of expenditure of the political parties. If we take a substantive step and pass proper legislation in this House, it will check unjustified flow of money to party coffers. Then only the election will be inexpensive. Candidates should be compelled to restrict the election expenses to prescribed limit and it is the patriotic duty of every citizen to watch the activities of the political parties and to see that even a poor man can afford to contest the election. But as it stands now, unless you get a political patronage or get a political backing of a very rich party, it is not possible for a poor individual to contest the election, however popular he may be. In this regard, I would like to make certain concrete suggestions.

My suggestions are that all the political parites should be registered under the Societies Registration Act, 1860. All political parties shall maintain accounts of all their receipts and expenditure. All receipts shall be accompanied by a list of sources from which they have come. All expenditure shall be supported by stamped vouchers. An annual statement of accounts of all receipts and expenditure shall be prepared by all political parties from the Ist day of April upto the 31st day of March every year. All political parties shall submit an annual statement of their receipts and expenditure, duly audited and certified by a chartered accountant, to the Election Commission. The annual statement of receipts and expenditure of the political parties shall be published in the Official Gazettee, by the Election Commission within one month of the receipt of such annual statements. Failure to comply with these provisions will make the political party de-recognised by the Election Commissin and the Election Cimmission shall take away the symbol which has been allotted to the particular party.

Unless these safeguards are there, I have my own genuine fear that if Shri Kanwar Lal Gupta's Bill is passed in this

[Shri P. K. Deo]

House and comes on the Statute Book, there will be complete misuse of it and it will open the flood-gates of corruption. I, therefore, strongly oppose the Bill of my learned friend, Shri Kanwar Lal Gupta.

**श्री मनोरंजन भक्त** (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : सभापति महोदय, मुझे श्री कंवरलाल गुप्त, श्री हुकमदेव नारायण यादव और डा० रामजी सिंह का भाषण सुनने का मौका मिला और अभी-अभी श्री पी० के० देव ने जो भाषण दिया है उसको भी सुनने का मौका मिला। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि यादव साहब इतने इमोशन के साथ क्यों बोल रहे थे क्योंकि कंवरलाल गुप्त जी ने जो बिल इस सदन में रखा है उसमें उनका कहना है कि जो भी डोनेशन पोलिटिकल पार्टीज को मिलते हैं उनके लिए तो आज के दिन भी इनकम टैक्स की पाबन्दी नहीं है लेकिन अगर कोई प्रापर्टी पोलिटिकल पार्टीज के पास है, जिस प्रापर्टी से रेंट मिलता है जिससे वे अपना दफ्तर चलाते हैं, क्योंकि बहुत सारी पोलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनके पास डोनेशन की आमदनी नहीं है, उनको बिग बिजनेस हाउसेज भी पैसा नहीं देते हैं तो जो ऐसी पोलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने साधन से कुछ न कुछ प्रापर्टी बनाकर उसकी आमदनी से पार्टी को चलाना चाहती हैं, डे टुडे पार्टी एक्टविटीज को चलाना चाहती हैं उन के ऊपर जो पाबन्दी इन्कम टैक्स की रखी गई है, उस को हटाना चाहिये। यह बात सच है और सब जानते हैं कि हमारे देश में राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले चन्दे के नाम पर क्या-क्या होता है, रुपये के खेल कैसे होते हैं, किस तरह से पावर में आया जा सकता है। जब हम अपनी रिटन दाखिल करते हैं तो वह कितनी साफ और सही तरीके से दाखिल करते हैं—देश को यह सब मालूम है। असल बात यह है कि सरकार की तरफ से इस की अच्छी तरह से जांच करने की जरूरत है कि हम किस तरह से पोलिटीकल पार्टीज में व्याप्त करप्शन को हटा सकते हैं और किस तरीके से विधि के द्वारा इन पर अच्छी तरह से कन्ट्रोल कर सकते हैं।

इन्कम टैक्स को हटाने की जब बात आती है तो इसका यह मतलब नहीं है कि इस को ऐसे ही हटा दिया जाय, उस तरह से तो फिर कोई नियम ही नहीं रहेगा। इस समय में उसमें यह नियम है कि उस का प्रापर एकाउन्ट मैन्टेन होना चाहिये, उस के बाद आडिट होना चाहिये, तमाम एमाउन्ट सही तरीके से जमा होना चाहिये। मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूं कि जितने डोनर्स हैं, उन सब के नाम उस में दिये जायें, उन में 1 रुपया देने वाला डोनर भी हो सकता है—ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उस में ऐसा दिया जा सकता है कि हजार रुपये से ऊपर देने वाले डोनर का नाम जरूर दिया जाना चाहिए, उसका एड्रेस भी देना चाहिये। लेकिन जो 1 रुपया या डेढ़ रुपया देने वाला डोनर है, उस का नाम देने से तो क्लेरिकल एक्सपेण्डिचर बहुत बढ़ जायेगा। इसलिये मैं ऐसा चाहता हूं—पोलिटिकल करप्शन को हटाने के लिये अगर कोई कदम उठाना है तो सरकार उस पर विचार करे और कोई इस तरह का विधेयक लाये जिस में पोलिटिकल पार्टीज का सारा एकाउन्ट सही तरीके से रखा जाये, उन के एकाउन्ट का आडिट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट करे और उसके बाद वह एकाउन्ट पब्लिक के लिये खोला जाय, लोगों की जनरल इन्फर्मेशन के लिये, जानकारी के लिये ओपन किया जाये। यदि हम ऐसा करेंगे तो काले धन के बारे में काफी चैक हो सकेगा। जैसा यादव जी ने कई प्रकार के घूस की बात कही है—उस की रोक थाम के लिये यह जरूरी है कि इस तरह का बिल लाया जाए। हमारे देव साहब और यादव जी ने तो इस को टोटली अपोज किया है, मेरा यह कहना है कि इस को इस एंगिल से नहीं देखना चाहिये।

इस पर विचार होना चाहिये और विचार कर के--मेरा यह कहना नहीं है कि आप इसी बिल को स्वीकार कीजिये--सरकार की तरफ से कोई काम्प्रीहैन्सिव बिल लाया जाना चाहिये । डाक्टर साहब ने कहा है कि इस को सिलैक्ट कमेटी को भेजा जाये-मैं यह समझता हूं कि यह मामला कोई छोटा मामला नहीं है, यह बड़ा गम्भीर और महत्वपूर्ण मामला है-इस पर पूरी तरह से विचार किया जाना चाहिये । इस सदन में हम लोग जो आते हैं, हर प्रान्त से आते हैं, सारे देश का भाग्य उन के हाथ में है, उन लोगों की पोलिटिकल पार्टीज हैं जो इस से प्रभावित होंगे --इसलिये सब के लिये ऐसा नियम बने, जिस में करप्शन से मुक्ति मिल सके, तब ही देश की राजनीति स्वच्छ हो सकेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो बिल आया है, इस को आउट-राइट रिजेक्ट न कर के इस पर विचार होना चाहिये, इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजना चाहिये और कोई काम्प्रीहैन्सिव बिल कैसे आ सकता है, उस पर सोचना चाहिये ।

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil) : I think I must support this Bill. We are all aware of the fact that the political parties function in this country with the will and support of the people and the day the people reject the party and withdraw their support, that party will perish. In every democracy we can see... This power failure is an indication how Delhi is in the grip of a power crisis and Mr. Kanwar Lal Gupta has to explain it.

Even in Britain we know some of the Parties which ruled that country have become a big cipher because the people did not support those parties. Today the functioning of the political parties is very expensive. Day-to-day functioning and fighting elections are very difficult for a small party and more so for a regional party. It is very difficult for a political party to complete with a party which is in power. I am not denying the fact that this kind of expensive political activity has come into the political life only after 1969. The entire morals and ethics of Indian politics have been torn into pieces since the great split in the Indian National Congress party.

Later on, I could say that the functioning of the political parties in this country became very expensive and every political party has been spending money like water. During the last Parliamentary election there has been a big change in the political scene. A new political party came into power. People expected that political parties will have to keep away from such immoral acts of collecting huge amounts for spending on elections. But even people like Santhanam had to complain. He made a public complaint and criticism that Janata Party used the same method as was done by the Indian National Congress Party once upon a time to extract money from people in Madras city. I am only showing that no political party can escape from this criticism—that they are using coercive methods to collect money.

Many suggestions have come to help the political parties to free themselves from corrupt practices. Everybody is paying money to the ruling party with an objective to get favour.

It is very difficult to collect money. When a telephone from an Opposition Party goes, the person at the receiving end says—he is not available. He, it is said, is not at home. They say, he is out of station. When they were in power, they were anxious to meet them. This order has to change day by day.

The hon. Minister while replying to the question regarding the arrears of Birlas said that Birlas could escape all the time. I do not blame you Mr. Patel because you came last year. Arrears of tax accumulated over the last 30 years and Birlas were capable enough to use their influence to that extent. It was notoriusly known how Shri K. K. Birla was influencing the previous regime. So, he could easily accumulate the arrears of tax and he could evade punishment. That is why this much of accumulation has come.

There was a CBI enquiry against him. He could come to courts and fight every day. Even in High Court and Supreme Court cases were pending for many years. I only take this opportunity to warn Shri H. M. Patel and the friends sitting in Janata Party, do not think that Birla is innocent and he will not influence your party also. I have my own suspicion. I have my own doubts—that Birlas will allow you to escape from the cluches of their influence. Please see that action is taken with all vigour.

How to make the political parties function is a question ? The only solution is that the Government should finance the political parties on the basis of the voting strength. You can evolve any formula,

[Shri Vayalar Ravi]

otherwise all these corrupt practices of big and small business Houses will influence the political parties through payment of money. The political party has to function. It is impossible for any political party to function to day within this present set up. The only way to keep these people out is that the Government should fix a kind of percentage of any other method. At least the source of finance should come from the Government as is in Germany.

As far as taxation is concerned, every political party has to keep books of Accounts. The political parties make bogus accounts. They make black money and they place a baseless report before the Government. Even the political party which rules the country, which is expected to be honest, the political party expected to be of integrity and which has to lead the people, the first thing that they do is to submit false accounts before the Income Tax authorities. Here you are asking the political parties to submit their accounts, and here are accounts which are always bogus and wrong. They are playing with black-money which we have to avoid. The only solution for this is this: The Government shold come forward to the help of these political parties; they should give them whatever support they could. They have got to be exempt from income-tax. There is no justification to impose income-tax on a political party.

Sir a political party is not an Association. It is not a profit-making institution or organisation. It is not a profit-earning society. It is not a commercial society. It is not a trading society. It is just simply a political party, living and functioning out of the contributions of the people. It is not right and proper for the Government to continue with this law which the Government is unable to enforce for the last thirty years.

It is better to open up a free atmosphere a better atmosphere. Let the people and let the political parties be more, honest.

Lastly, Madam Chairman, I would like to tell the Government about this point. This is regarding the functioning of the Income-tax Department, how the powers are being exercised in the Income Tax Department.

Who is powerful today ? Mr. H. M. Patel may think that he is very powerful. No. It is not so. He is wrong. The Income-tax Officer is the most powerful person in the country today.

During emergency he used this power to a great extent. These income tax Officers raided every house, they haunted, harassed and humiliated every family, in every big city and every small city. And then what happened - Accounts Books have been seized and kept in lorries and taken to these income-tax offices. These lorry-loads of account books have not yet been returned.

I appeal to the hon. Finance Minister to please see how many raids have been conducted since 1975 and how many records books have been seized and how many were returned so far. To my knowledge, in many cases, the books of accounts have not been returned so far because your people cannot look into them.

Unnecessarily, because of some small prejudice on the part of the Income-tax Officer, a raid was conducted, the innocent persons were put to harassmant and bumiliation. That was the order of the day during emergency. In those unfortunate days all these things happened.

Therefore, I appeal to you: Kindly have this checked up.. Such things happened in cities like Madras, Cochin, Bombay, Delhi and Calcutta. In other big cities also this happened. Please go into it. Please see how many account-books have been seized. Please see how many they are still keeping with them still, and have not returned back so far. If they are not returned so far, I request you to please see that they are returned and the cases are settled. Please see that the whole thing is settled. Please do something in the matter and see that this kind of harassment is not repeated in future.

Also, I would like to know whether you could take any action against those Income-tax officers who did the wrong things. So far as the Income-tax Department is concerned, I know, no action was taken those Income-tax Officers. Even the cases were proved by the Appellate Tribunal that the Income-tax Officer acted in a harsh manner. Even then he could escape. In every way, legally and otherwise, in every manner, he is fully protected. The poor people, the innocent people have been harassed and humiliated.

I don't know whether there is any provision in the law, but I feel, even if it is there, it is not evoked or enforced. No Income-tax Officer has been punished for his harsh action, where he ruined many poor families. This I know personally...

My only appeal to the hon. Finance Minister is this : Please look into this.

I give my support to the Bill.

I can only appeal to the hon. Finance Minister to look into the spirit of the Bill. The spirit of the Bill is that the political parties must function freely, function above the influence of the big business houses, function without corruption.

If you ask them to pay Income-tax, they will all indulge in transactions of black-money.

Allow the political parties to function in a proper manner. The only solution is this :

Allow the political parties not to pay any income-tax. Exempt them from income-tax altogether. Give financial aid to them from the Government.

I hope the hon. Finance Minister will consider all these points.

With these words I support the Bill.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) : I wish to make a submission, Madam Chairman.

Two hours have been allotted for this discussion. After this Bill, we have another Bill in the name of Shri Yamuna Prasad Shastri. That Bill has also come in the ballot. He is a blind man and he is waiting and I request that at least five minutes may be granted to him so that he may move his Bill. This is my submission.

MR. CHAIRMAN : But discussion and voting on this Bill has to conclude before we come to Mr. Shastri's Bill.

SHRI P. K. DEO : That is right. That is why I say, if we stick to the time-schedule we can easily finish this business in time and we can also allow Mr. Shastri to move his Bill.

MR. CHAIRMAN : The House will go on till 6 O'clock. That will give time for Mr. Shastri also to move his Bill.

Now, Shri Ram Naresh Kushwaha.

श्री राम नरेश कुशवाहा (सलेमपुर) : मैं इस बिल का विरोध करता हूं। जहां राजा बैठता है उस स्थान का नाम गद्दी है, जहां सेठ बैठता है उस स्थान का नाम गद्दी है, जहां महंत जी बैठते हैं उस स्थान का नाम भी गद्दी है। यह सारा गद्दियों का झगड़ा है। धावजी के पास धन होता है, तन होता है और मन होता है। सारे संसार में तन का मालिक राजा होता है। जब चाहे जेल में डाल दे जैसे आज संजय गांधी को डाल दिया है और जब चाहे छोड़ दे। तन का मालिक राजा। फांसी भी दे दे और चाहे तो छोड़ भी दे। मन का राजा है महन्त, धर्म गुरु, जो कह दे सब सही, मान लिया जाएगा। धन का मालिक सेठ है जो महंगी ला दे और जब चाहे सस्ती ला दे, जब चाहे भूखों मारने लग जाए और जब चाहे मंडी को सामान से पाट दे और सस्ती ला दे। हर एक संकट का कारण है। जब इन तीन में से दो भी इकट्ठे हो जायें तब तो कहना ही क्या। यह गठबंधन इन तीनों का आज से नहीं सृष्टि के आदिकाल से चला आ रहा है।

कानून बना हुआ है अस्पृश्यता निवारण का। हरिजन मन्दिर में जाता है। उसको पुजारी रोकता है। छुआछूत कौन मानता है? पुजारी मानता है। लेकिन गिरफ्तार हरिजन होता है। इसलिये यह होता है कि महंत की सांठगांठ गद्दी से होती है। बजाय पुजारी के गिरफ्तार होने के वह होता है। इसी तरह से सेठ की सांठगांठ भी सरकार से होती है। मजदूर हड़ताल करता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन पर लाठी गोली चलती है। यह सब चीज होती है और उनको बन्द कर दिया जाता है धारा 107, 116, 147, 148 में जोकि बल्वे की तमाम धारायें हैं। मजदूर किस से शांति भंग करता है, लोहे से, कारखाने की दीवारों से? वह लड़ता है मैनेजर से या मिल मालिक से। लेकिन कहीं मैनेजर या मिल मालिक की गिरफ्तारी नहीं होती है। शांति भंग का अंदेशा होता है तो गिरफ्तार होता है मजदूर। इतना ही नहीं, इन दोनों से राज सत्ता की सांठगांठ होती है। अगर ऐसा न होता तो हरिजन को गिरफ्तार न किया जाता, मजदूर को ही न किया जाता मिल के मैनेजर को भी उस के

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

सांठ गांठ किया जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। यह सांठगांठ सेठ की भी और मठ की भी, महन्त की भी। अब सत्ता पर संकट कब आता है? तब आता है जब धर्म खतरे में पड़ जाता है, जब चुनाव आते हैं। पांच बरस तक धर्म पर कोई खतरा नहीं। जब चुनाव आते हैं तो धर्म पर खतरा आ जाता है। यह आज की बात नहीं है। आज की ही यह बात नहीं है। पहले भी यही हालत थी। प्राचीनकाल में भी यही हालत थी। सब ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। धर्म ने हम को पढ़ाया: "मुट्ठी बांधे आये हो और हाथ पसारे जाओगे"। यह "हाथ पसारे जाओगे" वाली बात किस के लिये है?—हम रे लिये। यह उन के लिये नहीं है, जो महन्त हैं। उनके लिये यह संसार अपना और हमारे लिये यह संसार सपना है। चूंकि हमारे लिये यह संसार सपना है, इसलिये हम सब कुछ उनको दान-दक्षिणा दे दें। और हम वहां जाकर लेंगे, जहां से आज तक किसी ने चिट्ठी नहीं भेजी है। जिनको वहां कुछ नहीं मिलने वाला है, उनको हम सब कुछ दे दें, ताकि वे मौज-मस्ती मारें।

**17.00 hrs.**

राज्य सत्ता के लिये उन्होंने क्या व्यवस्था की है? वह राजा, नरेश है—नर के रूप में ईश्वर है। ईश्वर से कौन लड़ेगा? अपने लिये उन्होंने यह व्यवस्था दे दी कि "गुरु गोविन्द दोऊ खड़े काके लागूं पांय। बलिहारी गुरु आप की जिन हरि दियो दिखाए।" अर्थात गुरु भगवान से भी बड़ा है।

और सेठ के लिये क्या व्यवस्था हुई? हमारे यहां जब किसी का जवान बेटा या बैल मर जाता है, तो लोग उसे सांत्वना देने के लिये कहते है "बबुआ काहे रोवताड़। ई तू कर्जा खइले रहलह ऊ कर्जा भरवा के चलि गइल। अब मति रोअ।" यानी, तुम ने पिछले जन्म में इस बैल या लड़के का कर्जा खाया; इस जन्म में वह कर्जा भरवाने के लिये आया था; तुम ने उसको खिलाया पिलाया, पालापोसा; कर्जा चुक गया और वह मर गया; क्यों रोते हो?

किसी सेठ की इकन्नी मत लूटो, नहीं तो तुम्हारा जवान बेटा मर जाएगा, यह उसका भावार्थ है।

पांच रुपये के बदले में अगर सेठ जी ने पांच हजार ले लिये, और फिर भी उन के पांच रुपये बकाया रह जाते हैं। क्या किसी धर्म-ग्रन्थ में यह व्यवस्था है—सिवाये कुरान के, जिसमें इसको अपराध माना गया है—कि वह किस नरक में जाएगा?—किसी धर्म-ग्रन्थ में यह व्यवस्था नहीं है। बाकी सब धर्म ग्रन्थों में यही व्यवस्था है कि भले ही सेठ जी ने किसी से पांच रुपये के बदले में पांच हजार ले लिये, मगर वे पांच रुपये बकाया रहेंगे और वह व्यक्ति नरक में जाएगा।

इन तीनों में सांठ गांठ रही है। कम्पनियों द्वारा चन्दा देने पर जो रोक लगाई गई है, उसके पीछे यही भावना है। पुरानी सरकार को हम चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन अगर उसने भूले भटके एक आद सही काम कर दिया—जिस तरह लेबपाल या पुलिस वाले भूले भटके एक आध सही काम कर देते हैं—कि कम्पनियां चन्दा न दे सकें, तो मैं समझता हूं कि उसे समाप्त नहीं करना चाहिए। इन तीनों में से एक एक ही लोगों को बर्बाद करने के लिये काफी है, चाहे राजा की गद्दी हो, चाहे सेठ की गद्दी हो और चाहे महन्त की गद्दी हो। तो फिर अगर सेठ की और राजा की दो गद्दियां मिल जायेंगी, तो क्या हश्र होगा?

पिछले शासन में तीन गद्दियां इकट्ठी हो गई थीं। भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने दक्षिण भारत के दौरे में कहा था कि मैं भी हिन्दू हूं—अर्थात् हे हिन्दुओ, मैं जवाहरलाल की बेटी हूं, ब्राह्मण हूं। इस तरह वह पंडित बन गईं, और जब पंडित बन गईं, तो धर्मगुरू और

महन्त बन गई। और राज्य-सत्ता पर तो वह थीं ही। वह मारुति कारखाना खोल कर सेठ भी बन गई थीं। इस प्रकार सेठ, मठ और राजा का एक ही व्यक्ति में गठबन्धन हो गया---उसके पास वे तीनों ताकतें आ गईं। इन तीनों के गठबन्धन का जो नतीजा निकला, वह सारे देश ने बीस महीने तक भोगा। भविष्य में इन तीनों में से किसी का एक दूसरे के साथ गठबन्धन नहीं होना चाहिये, वर्ना यह देश तबाह हो जाएगा। बिलकुल यह देश तबाह हो जाएगा। और ईमानदारी की बात मैं आप से कहना चाहता हूं कि राजनीति में हम लोगों ने लोकतन्त्र कबूल किया है, लोकतन्त्र में पैसे का प्रभाव रहता है। तो एक तो करेला, दूजे, वह नीम चढ़ा। एक तो वैसे ही लोकतन्त्र में बिना चन्दा किये काम नहीं चलने वाला है और इन सेठों का जब चन्दा चलने लगेगा तो फिर होगा क्या ? हम ने देखा है अपनी आखों से, कांग्रेस में भी हम लोग रहे हैं, बहुत पहले अलग हो गए थे सन 48 में लेकिन इधर जो कांग्रेस का रवैया चल रहा है, चन्द्रभानु गुप्त और किसकी किसकी लड़ाई चलती रही है, उसमें मैंने देखा है कि जाली मैम्बर बनाये जाते थे कार्यकर्त्ता बनाये जाते थे और क्या क्या होता रहा है। भूतपूर्व प्रधान मंत्री के जमाने में भी और अभी भी क्या होता है पैसे के बल पर, मैं आप से कहना चाहता हूं कि राजनीति में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये यह जरूरी है कि इस प्रकार के चन्दे बन्द किये जायें। अगर इस प्रकार का चन्दा बन्द नहीं किया जायगा तो इन्सान कब बदल जाय कोई ठीक नहीं और ईमान कब लुढ़क जाए कोई ठीक नहीं। लालच का समुद्र जब सामने लहराता रहेगा तो वह आदमी ईमानदार नहीं रहेगा। आदमी में अगर कोई कमजोरी न हो तो वह देवता बन जाएगा। इसलिये मैं आप से कहना चाहता हूं कि आदमी को आदमी रहने देने के लिये हमें आदमी को आदमी मान कर के चलना चाहिए और जानकर के ऐसा कोई उपाय नहीं करना चाहिए जिस से कि आदमी की खरीद और बिक्री शुरू हो जाय, किसी दल को खरीदने का काम शुरू हो जाय। मुझे याद है, एक बार बिरला साहब के किसी आदमी ने बयान दिया था कि मेरे 45 संसद सदस्य हैं---तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि फिर किसी पूंजीपति की यह हिम्मत न हो, फिर किसी संसद सदस्य पर इस प्रकार की उंगली न उठायी जाय कि वह हमारा है या पूंजीपति का क्रीत दास है, इसलिये जरूरी है कि पूंजीपतियों का चन्दा, कम्पनियों का चन्दा बन्द किया जाय। मैं आप के माध्यम से माननीय मित्र कंवर लाल जी गुप्त को हमारे सम्माननीय नेता भी हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कम्पनियों के चन्दे के लिये यह सारी बात है तो इसको वह वापस ले लें।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : I should like to say that the principle of the Bill is clearly acceptable. In fact the government had taken a decision in February and an announcement had been made that this question had been considered in the Cabinet and that the government would be bringing forward a Bill, I hope, during this session. It was consider certain aspects which, understandably, have not been considered in Mr. Kanwar Lal Gupta's Bill. It says that income derived by political parties should be exempt from income-tax. What income ? Income derived from what source ? There will have to be certain types of income which may have to be excluded and so on. Those have to be clearly specified. Similarly, the point to consider is whether wealth tax exemption is desirable or not. Wealth tax was brought in for the purpose of reducing disparities. But there is no question of disparties of wealth in regard to political parties. All those matters have been considered and we propose to bring in a Bill which will take care of all those aspects and I hope, if possible, to introduce it during this session. Various other suggestions really do not belong to the Income-tax Act. The suggestions as to whether funds may be collected by the Ministers or not are separate issues which can be dealt with appropriately through other methods and not at all through the Income Tax Bill. I hope ....

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Do you agree with it or not ?

SHRI H. M. PATEL : Of course. I have no quarrel with it whatsoever. But as I said certain suggestions are counsels of perfection. I entirely agree with what you said. However, the method of doing it may be difficult to find out and that is why I said that it is not something which can take care of through the Income-tax Bill. It is to be looked into further. The main point is, as I had already said, that the Government has already considered tha matter and taken the view that this is something which should be done in order that the political parties may function satisfactorily and may have no difficulty in having their funds from recognised and approved sources. This is all I want to say and there is no reason why I should take more time of the House. I am very glad that all those who spoke on this Bill consider that a move in this direction is desirable and should be considered by the Government. It so happened that Government was also thinking on these lines. I must congratulate Mr. Kanwar Lal Gupta for thinking on these lines simultaneously. Great minds think alike and evidently, Government collectively is great and so also is Mr. Kanwar Lal Gupta.

Mr. CHAIRMAN : But you are not asking him to withdraw the Bill ?

SHRI H. M. PATEL : I am asking him to withdraw the Bill now.

**श्री कंवर लाल गुप्त :** सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं कि उन्होंने मेरे विधेयक के सिद्धान्त को मान लिया है और इस बात की भी घोषणा की है कि सरकार ने इस प्रकार का निर्णय ले लिया है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।

मेरे मित्र श्री हुकमदेव नारायण यादव जी ने और दूसरे साथी ने कुछ आपत्ति उठाई। या तो शायद मैं ठीक तरह से समझ नहीं पाया या उन्होंने इस विधेयक को ठीक तरह से पढ़ा नहीं इसी कारण उनकी आपत्ति है। उन्होंने जो बातें कहीं उन बातों से किसी को भी मतभेद नहीं हो सकता है। उनकी सभी बातें ठीक हैं। मैंने तो स्वयं कहा कि आज क्या स्थिति है — आज की स्थिति यह है कि आप किसी से भी पैसा ले जाइये, उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं है लेकिन लेने के बाद अगर बैंक में पैसा जमा करके ब्याज लेंगे या प्रापर्टी पर रेंट से या किसी दूसरे तरीके से इनकम होगी उस पर है। लेकिन गड़बड़ कहां होती है ? आपने ठीक कहा कि चन्दे के नाम से, सलामी के नाम से, नजराने के नाम से जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वह जेबों में जाता है जोकि जेबों में नहीं जाना चाहिए। पैसे का प्रभाव राजनीति पर नहीं होना चाहिए इसमें मैं आपसे बिलकुल सहमत हूं और इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। जैसा कि मैं ने खुद कहा मैं मंत्री जी से इस बारे में सहमत हूं कि यह कांप्रिहेंसिव बिल नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि इस पर दोबारा और ज्यादा थिंकिंग की जरूरत सरकार को पड़ेगी। यह बिल तो मैं ने सिद्धान्त रूप में पेश किया है।

SHRI H. M. PATEL : If I may interrupt, I should also say that the Bill, which Mr. Kanwar Lal Gupta has presented, for instance does not point out that proper accounts should be maintained and those accounts should be audited carefully. Unless this is done, to give exemption otherwise would not be proper. Therefore, all these things are necessary to be incorporated.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I totally agree with the Minister that proper accounts should be maintained and should be audited. I go a step further and say that it should be open to the public, so that the public may know who has contributed what. Of course, I agree with the suggestions made by my friend, Mr. Baktha that it is not possible to give the name of each and every donor. But if somebody contributes more than a thousand, two thousand or ten thousand rupees, their names should be known to everybody. After the accounts are duly audited and approved, they should be open to public like Companies' Accounts. What is the position with regard to Companies' Accounts ? You go to the Registrar of Companies, you pay Rs. 2/-, you can see the accounts of the company. Suppose I had taken one lakh for my party and I have given only Rs. 50,000, to Janata Party, and put Rs. 50,000 in my pocket.

इस तरह से 50 हजार रुपया खा गये। अगर एकाउन्ट्स ठीक तरह से रखे जायेंगे, उस का आडिट ठीक होगा, तो पब्लिक को भी देखने का अवसर मिलेगा। आप यह मालूम

कर सकते हैं कि किसी से एक लाख रुपया लिया है या 50 हजार रुपया लिया—जो बात आप कह रहे हैं, वह इस चीज से पूरी होगी।

आखरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पोलिटीकल एजुकेशन का होना भी बहुत जरूरी है। आप इस तरह से देखिए—इन्दिरा जी ने नारा लगाया कि हम गरीबी हटा रहे हैं, आप जानते हैं हम ने अपनी कांस्टीचूएन्सी में कितना काम किया था, लेकिन हम और आप कहां चले गये। किसी ने आंख से आंख नहीं मिलाई, सब यह सोचते रहे कि अब तो गरीबी मिट जायगी। इस लिये मेरा कहना है कि जब तक पोलिटीकल कांशनेस नहीं होगी, पोलिटीकल एजूकेशन नहीं होगी, तब तक काम नहीं चलेगा।

मैं इस बात स सहमत नहीं हूं—जैसा श्री वयालार रवि जी ने कहा कि सरकार को पोलिटीकल पार्टीज को पैसा देना चाहिये। जिस पोलिटीकल पार्टी के पीछे जनता नहीं है, सरकार उस को पैसा दे कर जिन्दा करे—मैं इस सिद्धान्त को ठीफ नहीं मानता। ये लोग तो एक ही साल में तंग आ गये हैं, कोई कहता है कि हमारा टेलीफोन कट रहा है, कोई कुछ कहता है, हम भी 30 साल विरोध पक्ष में रहे हैं, जो पार्टी सक्रिय रहेगी, जिसे जनता का समर्थन प्राप्त होगा, उसे पैसे की कमी नहीं रहेगी। जिसको जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है वे ही सरकार से अपेक्षा करेंगे कि सरकार उन को अपनी पोलिटीकल पार्टी जो चलाने के लिये पैसा दें। इस तरह की परम्परा डालना मेरी दृष्टि में ठीक नहीं है। इलैक्शन के लिये तो मैं मान सकता हूं और इस बात से सहमत हूं कि इलैक्शन के दिनों में सरकार को मदद करनी चाहिये—हर एक कैण्डीडेट की। लेकिन पोलिटीकल पार्टीज को सरकार चलाये, इस से क्या होगा कि बहुत ज्यादा पार्टीज बन जायेंगी, क्योंकि पार्टी को चलाने के लिये सरकार से पैसा मिलेगा यह चीज ठीक नहीं है।

यह समझना भी ठीक नहीं होगा कि पोलिटीकल पार्टीज पैसे से ही जीतती या हारती है। हम ने अभी देखा —— जिस समय हम लोग चुने गये, यदि पैसे से और सरकार के दबाव से सब कुछ होता तो हम यहां पर नजर नहीं आते, दरवाजे के बाहर ही नजर आते। लेकिन भारत की जनता में पोलिटीकल—मैच्योरिटी है, उस ने इस बात को साबित कर दिया कि पैसा सब कुछ नहीं है, सत्ता ही सब कुछ नहीं है, लेकिन जिस सिद्धान्त और जिस उद्देश्य को लेकर कोई राजनीतिक दल चलता है, वे सिद्धान्त कैसे है, जनता को पसन्द हैं या नहीं हैं, उस के हित में हैं या नहीं है— यह महत्व रखता है। हम लोग 17 महीने जेल में रह, वहां रह कर भी हम ने जनता को एजुकेट किया कि किस तरह से उस सत्ता ने जिस का उस समय राज था, लोगों को दबाया, लोगों की आजादी को समाप्त किया, समाचार पत्रों को दबाया, उस को यदि ठीक करना है तो आप के सामने जनता पार्टी को वोट देने के अलावा और कोई साधन नहीं है। आप यदि यह चाहेंगे कि बिरला से पैसा मत लो, बड़े बड़े सरमायेदारों से पैसा मत लो, छोटे छोटे लोगों से पैसा लो, उस पर भी सरकार को टैक्स दो,—तो ये दोनों काम नहीं चल सकते। इसी लिये मैं समझता हुं कि हमारे श्री हुकुम देव नारायण यादव जी ने गलतफहमी में इस का विरोध किया है। यह वास्तव में ऐसा बिल है, जो पहले ही आना चाहिये था। मान लीजिये यदि मन्दिर की आमदनी पर टैक्स नहीं लगता, मस्जिद की आमदनी पर नही लगता, गुरुद्वारे पर नहीं लगता, एजुकेशनल इंटीट्यूशन्ज पर नहीं लगता, तो फिर पोलिटीकल पार्टीज पर भी नहीं लगना चाहिये, क्योंकि हम भी एजुकेशन देते हैं।

मैं अब इस के ऊपर अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं उन्होंने इस बात को माना और मैं भी यही मानता हूं कि यह कोई काम्प्रीहन्सिव बिल नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सरकार जल्दी ही एक काम्प्रीहैन्सिव बिल लायेगी, यदि सम्भव हो तो इसी सशन में लाया

[श्री कंवर लाल गुप्ता

जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपने विधेयक को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

Mr. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to withdraw the Bill further to amend the Income-tax Act, 1961."

*The motion was adopted.*

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Sir, I withdraw the Bill.

---

**17.21 hrs.**

## CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Insertion of new Articles 23A, 23B and 23C)]

SHRI Y. P. SHASTRI (Rewa) : Sir, I beg to move* :

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

यह प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । श्रीमन्, अपने जीवन का सब से समहत्वपूर्ण और सुखद दिन मैं आज मानता हूं जबकि भारत की सर्वोच्च पंचायत के सामने मैं यह महत्वपूर्ण विधयक विचार के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि संविधान का यह संशोधन विधेयक न केवल आज की पीढ़ी बल्कि अनन्तकाल तक भारत की भूमि पर पैदा होने वाली संतानों से सम्बन्ध रखता है । हमारे संविधान में आज से 28 वर्ष पूर्व निर्देशक सिद्धान्तों में अनच्छेद 41 में इस बात का समावेश किया गया था कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास के स्तर को देखते हुए इस देश के निवासियों को काम का अधिकार प्रदान करेगा, शिक्षा की व्यवस्था करेगा और जो लोग बेकार होंगे, अपंग होंगे, वृद्ध होंगे उन को सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी । यह अनुच्छेद निर्देशक सिद्धान्तों में आज से 28 वर्ष पूर्व लिखा गया था । उस समय जिन लोगों ने संविधान बनाया था, उन्होंने सोचा होगा कि यह कार्य बहुत जल्द हो जाएगा और समूचे भारत में जो बेरोजगार लोग हैं, उन को काम का अधिकार मिलेगा और जब तक काम उन्हें नहीं मिलेगा, तो सरकार उन्हें सहायता देगी बेकारी के भत्ते के रूप में, अनएम्पलायमेंट बनिफिट के रूप में या अनएम्प्लायमेंट एलाऊन्स के रूप में, जो कुछ भी उसे कहा जाए, उनको सहायता प्रदान की जाएगी । यह उनका सपना था लेकिन संविधान बनने के पश्चात् इस देश में चुनाव हुए, सरकारें बनीं और उन्होंने बड़े-बड़े वायदे भी किये और देश की जनता की आंखों में धूल भी झोंकी लेकिन इस निर्देशक सिद्धान्त का पालन कहीं भी नहीं किया गया, एक अक्षर भी पालन नहीं किया गया और यह संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों में लिखा ही रह गया और हमारा संविधान निष्प्राण रह गया ।

**श्री पी० के० देव** (कालाहांडी) : बेलाडीला में क्या हुआ ?

**श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : बेलाडीला में क्या हुआ है, उस को छोड़िये । हमने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया है । बेलाडीला की तरह के हज़ारों कांड कांग्रेस वालों ने किये हैं । मैं समझता हूं कि कांग्रेस वाले ने यह प्रश्न किया है। . . . (**व्यवधान**) . . .

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि संविधान निष्प्राण बना रह गया, संविधान का जो अनुच्छेद 41 था, उसको कार्यान्वित करने के लिए कुछ नहीं हुआ । मैं ऐसा मानता हूं कि यह अनुच्छेद संविधान का प्रण है । अगर किसी देश में लोकतंत्र रहना है, लोकतांत्रिक संविधान को अगर कार्यान्वियन करना है तो उस देश के लोगों को, देश के नौजवानों को, देश की संतान को काम का अधिकार मिलना चाहिए, जीविका का अधिकार मिलना चाहिए । अगर हम जीविका के अवसर नहीं प्रदान कर सके

*Moved with the recommendation of the President.